अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –177 /2026

न्यायालय, जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, नवगछिया, भागलपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–177 /2026
खरीक थाना कांड संख्या–102/2026
अन्तर्गत धारा :–115(2), 126(2), 74, 109, 303(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत।

01. कोकली मंडल
02. अजीत कुमार उर्फ डकको कुमार
03. विक्की कुमार
04. फंटुश कुमार .....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... अभियोजन पक्ष

01.06.2026 आवेदक अभियुक्तगण की ओर से खरीक थाना कांड संख्या–102/2026 में गिरफ्तारी की आशंका से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान की गई है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि यह वाद सूचक कुनकुन मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर खरीक थाना कांड संख्या–102/2026 दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो किसी अन्य सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। आगे कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा और मनगढंत मामला दर्ज किया गया है। अभिलेख पर कोई जख्म प्रतिवेदन नहीं है इस कारण आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–74, 109, 303(2) का आरोप नहीं बनता है। दोनों पक्षों के बीच काउन्टर केस है। आवेदक अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों का पालन एवं न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाय।

अभियोजन का वाद सूचक कुनकुन मंडल के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–22.03.2026को समय करीब शाम चार बजे दिन में सूचक अपने गाय के लिए चारा लाने खेत में गया था, इसी बीच पूर्व से घात लगा कर एक राय करके अपने–अपने हाथ में हरवे हथियार लेकर फंटुश कुमार, अजीत कुमार उर्फ डककू कुमार, विक्की कुमार के द्वारा सूचक के साथ गाली–गलौज करने लगा जब ये मना किया तो उपर्युक्त सभी लोगों लोग सूचक के साथ मारपीट करने लगा। फंटुश कुमार अपने हाथ में लिए लोहे के खंती से सूचक का जान लेने के लिए सूचक के सर पर वार किया सूचक अपने से बचने की काफी कोशिश किया परंतु खंती सूचक के सर पर जा लगा जिसे सूचक का सर कट गया और काफी खून बहने लगा और अजीत कुमार उर्फ डककू कुमार अपने हाथ में लिए लोहे का रंड सूचक केउपर प्रहार करने लगा और कोकली मंडल अपने हाथों में लाठी लिये मारने लगा और गाली देते हुए जान से मार दो नहीं तो जिंदा रहेगा तो बराबर झगड़ा होते रहेगा। सूचक की बेटी बंधना कुमारी जब सूचक को छुड़ाने के लिए आयी तो सभी के द्वारा लोहा के रंड से मारपीट किया और बाह पकड़ कर जमीन पर पटक कर घ ासीटने लगा जिसे सूचक की बेटी की लज्जा भंग हो गई। सूचक के पॉकेट में रखे एक हजार रूपया विक्की कुमार द्वारा निकाल लिया गया और विक्की के हाथ में चाकू लिये हुए जान से मारने की कोशिश किया गया। सूचक वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब हो हंगमा सुन कर अगल–बगल के लोग जमा हुआ तब जाकर सभी लोग भागने लगे तब गॉव के लोगों के

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –177 /2026

लगातार

01.06.2026 सहयोग से सूचक को भागलपुर में ईलाज कराया गया वहां काफी स्थिति खराब होने के कारण सूचक को सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। वहां से बाकी ईलाज करा कर जब घर आये तो फिर गाली–गलौज करने लगा। दिनांक–11.09.2026 को थाना पर एक लिखित आवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु दिया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–02 वादी का पुनः बयान है। कंडिका–05 घटनास्थल का वर्णन है जिसमें घटनास्थल ग्राम नवादा स्थित वादी का मक्का लगा खेत है। कंडिका–06, 07 साक्षियों का बयान है जिन्होंने प्राथमिकी पूणतः समर्थन किया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर लोक अभियोजक से बार–बार जख्म प्रतिवेदन मांगने के बावजूद कोई जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में बुलाये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर अनुसंधानकर्ता द्वारा मौखिक रूप से कथन किया गया कि डाक्टर द्वारा बुलाये जाने पर जख्मी डाक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण डाक्टर द्वारा कोई जख्म प्रतिवेदन नहीं दिया गया। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों के बीच काउन्ट केस है। अभिलेख पर कोई जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है। इस वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/–(दस हजार रूपये) के समतुल्य राशि के दो–दो जमानतदारों के प्रतिभुओं का बंध पत्र विचारण न्यायालय में 04 सप्ताह के अंदर गिरफतार होने अथवा आत्मसमर्पण किये जाने पर एवं न्यायालय के संतुष्टि पर धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अनुपालन करने पर इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** की जाती है कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे तथा आवेदक अभियुक्तगण आरोप गठन के पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेंगे। आवेदक अभियुक्तगण के लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर निम्न न्यायालय को उनका बंधपत्र खंडित करने की स्ववंत्रता होगी।

लेखापित

जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
नवगछिया, भागलपुर।

मेमो नं0..... दिनांक .....

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, नवगछिया को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
नवगछिया, भागलपुर।